"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2002—भाद्र 15, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

क्रमांक 2095/1600/02/2/एक.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा सह-सचिव, वित्त विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1832/1449/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 6-7-2002 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश 15-7-2002 से 19-7-2002 (पांच दिवस) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्र. 2186/1652/02/2/एक—श्री बी. एल. ठाकुर, कलेक्टर, धमतरी को दिनांक 25-6-2002 से 4-7-2002 तक (10 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23, 24-6-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) श्री बी. एल. ठाकुर को अवकाश से लौटने पर कलेक्टर धमतरी के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री ठाकुर को अवकाश अवधि में अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अपर-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-1-7/2002/1/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एल. टंडन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को विभागीय जांच आयुक्त (वेतनमान रु. 18,400-500-22,400) के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तथा अस्थाई रूप से नियुक्त करता है.

(2) श्री टंडन को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी.

(3) श्री टंडन की उपरोक्त नियुक्ति हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रभावशील सेवा शर्तें लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

क्रमांक 5024/डी-1801/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, श्री डी. आर. अग्रवाल, अधिवक्ता, पेन्ड्रा, जिला बिलासपुर को राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन की ओर से उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28-2-2003 तक की अवधि के लिए उप-महाधिवक्ता नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या कभी भी संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

उक्त विधि अधिकारी को इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक डी-103/1/छ.ग./2000, दिनांक 22-11-2000/1-12-2000 के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 5403/एफ/1952/21-ब (छ.ग.)/2002.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1426-ए/एफ/696/ब/21, रायपुर, दिनांक 29-3-2001 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1959 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा-4, की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	जिले का नाम	स्थान का नाम	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
		कांकेर	3
2.	बिलासपुर	जांजगीर	3
		कोरबा	2
		मुंगेली	2
		पेन्ड्रा रोड	1
3.	दुर्ग	दुर्ग	2
		बेमेतरा	2
4.	रायगढ़	रायगढ़	2
		जशपुरनगर	1
5.	रायपुर	रायपुर	2

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	राजनांदगांव	कवर्धा	1
7.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	4
		सूरजपुर	4
		रामानुजगंज	1
		कुल	31

Raipur, the 13th August 2002

No. 5403/F/1952/21-B/C.G./2002.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 14264/F.698/B/XXI, Raipur, dated 29-3-2001 of this department, the State Government on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby, constituted and establish of "Fast Track Courts" specified in schedule below :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Bastar at Jagdalpur	Jagdalpur	1
		Kanker	3
2.	Bilaspur	Janjgir	3
		Korba	2
		Mungeli	2
		Pendra Road	1
3.	Durg	Durg	2
		Bemetara	2
4.	Raigarh	Raigarh	2
		Jashpur Nagar	1
5.	Raipur	Raipur	2
6.	Rajnandgaon	Kawardha	1
7.	Sarguja at Ambikapur	Ambikapur	4
		Surajpur	4
		Ramanujganj	1
		Total	**31**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2002

फा. क्र. 4314/2399/21-ब (छ.ग.).— दंण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नरेशसेवक अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर सत्र खण्ड के जांजगीर-चांपा राजस्व जिले के लिए अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

(संशोधन आदेश)

क्रमांक 834/डी-4452/21-ब (छ.ग.)/2002.—दिनांक 16 मई, 2002 को जारी आदेश क्रमांक 834/डी-3605/21-ब/(छ.ग.)/2002, के संबंध में निम्न संशोधन किया जाता है कि जशपुर में केवल एक फास्ट ट्रेक कोर्ट वर्तमान में कार्यरत होने से वहां पर पदस्थ दो अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं में से कनिष्ठ शासकीय अधिवक्ता श्री संतोष महापात्र की सेवाओं की अब आवश्यकता न होने से उनकी सेवाएं समाप्त की जाती है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

फा. क्र. 5127/1690/21-ब (छ.ग.) 2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री तेजराम पटेल, अधिवक्ता रायगढ़, जिला रायगढ़ को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिये शासन की ओर से पैरवी करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो अवधि पहले आवे, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 2749/152/ऊर्जा वि./2000.—अधिसूचना क्रमांक 1055/152/ऊर्जा/2000 दिनांक 20-3-2002 के संदर्भ में श्री बी. एस. बनाफर, सदस्य (उत्पादन परियोजना) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर की सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

(1) श्री बनाफर का मूल वेतन रुपये 18,000/- (कार्यपालन संचालक के वेतनमान का अधिकतम) होगा.

(2) उक्त मूल वेतन पर मंडल के प्रभावशील नियमानुसार अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों की पात्रता होगी.

(3) वेतन के अलावा सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी.

(4) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्ति की जा सकेगी.

(5) अवकाश भत्ता एवं अवकाश यात्रा की पात्रता की सुविधा मंडल के समकक्ष अधिकारियों की पात्रतानुसार होगी.

(6) नियुक्ति के दौरान संबंधित अधिकारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2002

क्रमांक डी 4119/3567/आजाक/2002.—श्री उजागर सिंह, आयुक्त, आदिवासी विकास, मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 12-7-2002 एवं दिनांक 15, 16-7-2002 (3 दिवस) का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 13, 14-7-2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश अवधि में श्री उजागर सिंह को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उजागर सिंह को पुनः मुख्यालय में पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री उजागर सिंह यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. ठाकुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2002

क्रमांक डी-4155/132, 384/सीएमएस/आजाक/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4/25/आजाक/01, दिनांक 16-1-2001, क्रमांक 2128/2266/आजाक/2001, दिनांक 2-9-2001, क्रमांक 2738/1264/आजाक/2001, दिनांक 11-9-2001, क्रमांक 5806/1959/वीआईपी/आजाक/2001, दिनांक 10-12-2001, क्रमांक 2052/83/वीआईपी/आजाक/2002, दिनांक 25-2-2002 एवं क्रमांक 1461/162/सीएमएस/आजाक/2002, दिनांक 15-3-2002 के अनुक्रम में निम्नांकित सदस्यों के नाम जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	नाम	जाति	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दाऊराम पटेल	मरार	मु. पो. चारपारा (बलौदा), जिला जांजगीर-चांपा.
2.	श्री रामनाथ पटेल	मरार	मेंगला, जिला बिलासपुर.
3.	श्री रामचंद पटेल	मरार	मु. पो. खटियापारी, ब. बाजार, जिला रायपुर.
4.	श्री इन्दुलाल निषाद	केवट	मु. पो. रायपुरा, जिला रायपुर.
5.	श्री सुखउराम निषाद	केवट	मु. लालखदान, व्हाया बिलासपुर, तह. व जिला बिलासपुर.
6.	श्री एम. आर. निषाद	केवट	बस्तर संभाग संयोजक, वृन्दावन कालोनी, जगदलपुर, जिला बस्तर.
7.	श्री सेवक राम तारक	केवट	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा, ग्राम तोरला, अभनपुर, जिला रायपुर.
8.	श्री कुबेर सपहा	केवट	पार्षद, नगरपालिका निगम, रायपुर, महासचिव छ. ग. धीवर समाज महासभा, रायपुर.
9.	श्री श्यामरतन सपहा	केवट	अध्यक्ष, छ. ग. धीवर समाज, रायपुर परिक्षेत्र, श्याम नगर, रायपुर.
10.	श्री एस. एन. यादव	यादव	जिलाध्यक्ष, अम्बिकापुर, जिला यादव महासभा, मु. व पो. फनरडीहहारी मडुवापारा, अंबिकापुर.
11.	श्री प्रकाश यादव	यादव	अध्यक्ष, कवर्धा जिला यादव महासभा, मु. पो. राधाकृष्ण मंदिर के पास, कवर्धा.
12.	श्री अवधराम यादव	यादव	अध्यक्ष, रायपुर जिला युवक यादव महासभा, खण्डूवा, पो. उपरवारा, अभनपुर, जिला रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2002

क्रमांक 1980/2205/श्रम/2002.—चूंकि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 13 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघों की छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रतिनिधि संघ की मान्यता जारी रखने दिनांक 2 जून, 2001 को राजपत्र के भाग (1) में अधिसूचना क्रमांक 1081/2205/श्रम/2001 जारी की गई है, जिसमें समय सीमा वर्णित नहीं है.

2. अत: उक्त अधिसूचना क्रमांक 1081/2205/श्रम/2001 की कंडिका (5) के आगे निम्नानुसार जोड़ा जाता है-''यह अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 तक प्रभावशील रहेगा''.

3. छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत श्रमिक संगठनों को उक्त अवधि के पूर्व रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन छत्तीसगढ़ से अपने संगठन के लिए पृथक् से पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.